फर्द अहकाम

गिरधारी **बनाम** मेहताबदान वगैरह

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

संख्या 26/19

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	8/9/22	वकील अप्रार्थीपक्ष हाजिर। वकील वादी की आपत्ति रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 16/9/22 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	
	16/9/22	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील वादी की आपत्ति खारिज किया जाता है तथा मुताबिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा डिक्री किया जाता है। आदेश [illegible] जावे [illegible]। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :- 26/2019

उनवान

1 गिरधारी लाल पुत्र भगवान सहाय, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

1 मंगलदास पुत्र गिरधारी
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र कालूदास
3 शिम्भूदयाल पुत्र कालूदास
4 सुरेश कुमार पुत्र कालूदास
5 प्रभाती पत्नी माधोदास
6 पप्पू उर्फ रोहिताश पुत्र कानादास
7 ग्यारसी देवी पत्नी हनुमानदास
8 अर्जुन पुत्र हनुमानदास
9 भींवाराम पुत्र हनुमानदास
10 जगदीश पुत्र माधोदास
11 बद्रीदास पुत्र सोहनदास
12 बनवारीदास पुत्र सोहनदास
13 बंशीदास पुत्र सोहनदास,
समस्त जाति स्वामी, निवासी स्वामियों की ढाणी रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
14 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
15 फूलचंद पुत्र मंगलदास
16 धर्मेन्द्र पुत्र साधूराम
17 अशोक पुत्र सज्जन सिंह
18 अनिल पुत्र सज्जन सिंह
19 दीपक पुत्र फूलचंद
20 बुग्गाराम पुत्र फूलचंद
समस्त जाति स्वामी, निवासी स्वामियों की ढाणी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला-जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरेन्द्रसिं शेखावत एडवोकेट वादी।

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 16/9/2

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि आराजी हाल खाता सं0- 46 के खसरा नम्बर- 603/0.17, 606/0.39, 609/0.63 कुल किता-3 रकबा 1.19 है0 वाकै ग्राम रामपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी सम्पूर्ण वादी के नाम है तथा वादी रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा नम्बर-602/0.12 किता-1 रकबा 0.12 है0 वाकै ग्राम रामपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 होकर वादी व प्रतिवादी सं0- 1 लगायत 4 सहखातेदार है नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। आराजी खसरा नं0- 602/2478/0.10 किता- 1 रकबा 0.10 है0 वाकै ग्राम रामपुरा, तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 है तथा प्रतिवादी सं0- 1 लगायत 13 वादीगण के सहखातेदार है नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित आराजी जो वादी के नाम की खातेदारी भूमि है जिसके सम्पूर्ण रकबे पर वादी काश्त करता आया है जिसमें खसरा नं0- 609 रामपुरा से छापुडा जाने वाली सड़क के उत्तर दक्षिण की ओर स्थित है तथा इसके लगता दक्षिणी सीमा की ओर वादी का खसरा नं0 606 अवस्थित है तथा इसके दक्षिण सीमा के लगते खसरा नंबर वाद पत्र में वर्णित खसरा नंबर 602/2478 अवस्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0- 1 लगायत 13 ने अपना हिस्सा 3/4 ग्राम पंचायत रामपुरा को दान देने के उपरान्त वादी का हिस्सा 1/4 खाली है जो उक्त खसरा नंबर के पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 602 के लगता हुआ सहखातेदारी की भूमि में से खसरा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

नम्बर 603 वादी की खातेदारी तक अवस्थित है जबकि खसरा नं0 599 में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर वादी की सहखातेदारी भूमि खसरा नं0 602 में से खसरा नं0– 602/2478 तक कदीमी रास्ता अवस्थित है जो वादी के पुख्ता मकान पूर्व झांकता खसरा नं0 603 की उत्तरी दीवार के सहारे सहारे जाता है तथा वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि वाद पत्र में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 609, 606, व 603 तक भूमि के अंदर सिंचाई काश्त हेतु पाइपलाइन दबा रखी है। तथा खसरा नम्बर 602 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 602/2478 की पश्चिम सीमा के सहारे सहारे उत्तर दक्षिण अपने हिस्सा की भूमि से खसरा नम्बर 609 से 603 तक आता है तथा खसरा नं0 603 से खसरा नं0 609 तक जाता है अर्थात सहखातेदारी की भूमि वादी के स्वयं की खातेदारी की भूमि के बीच अवस्थित है जिसमें प्रतिवादीगण का अपने हिस्से से अधिक किसी प्रकार का संबंध नहीं है जबकि वादी को सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से तक विधिक अधिकार उत्पन्न है। प्रतिवादीगण खुंखार व्यक्ति है जिसने वादी के खिलाफ एक संगठन बना रखा है तथा आए दिन पाइपलाइन को तोडने व खसरा नम्बर 602 व 602/2478 में रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रतिवादी गण ने खसरा नंबर 602 सहखातेदारी की भूमि में बिना विधिक बंटवारा निर्माण साम्रगी एकत्रित कर नींव खोदने के लिए आमादा हो गए। वादी ने खसरा नंबर 602 व 602/2478 में से अपनी भूमि में आवाजाही व पाइपलाइन भूमि के नीचे से डालकर काश्त करने की बात कहीं और कहा कि पक्के निर्माण से आवाजाही व सिंचाई में परेशानी होगी तो प्रतिवादीगण उग्र हो गए। वादी को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वादपत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ।

आराजी मुतनाजा के सहखातेदार माधोदास पुत्र जीवा व सोहनदास पुत्र जीवा की मृत्यु हो चुकी है जिसका विरासत इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है जिसके सं0– 5 लगायत 13 विधिक वारिसान है को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं0– 15 लगायत 20 प्रतिवादी सं0 1 लगायत 13 के परिवार के सदस्य है जो वादी के कब्जे काश्त में आये दिन परेशानी पैदा करते है इनको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के लिये पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादी वादपत्र के खण्ड सं0 2 व 3 मे वर्णित आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड सहखातेदार होने व वाद पत्र के खंड सं0 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार होने के कारण कानूनी बंटवारा करवाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का पूर्ण अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 14 भूधारक होने से बंटवारे के दावे में आवश्यक पक्षकार होने के कारण कानूनी एतराज पूर्ति हेतु पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो लोक सेवक की श्रेणी में आते है जिन्हें प्रकरण अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दफा–80 (1) जाप्ता दीवानी का दो माह नोटिस नहीं दिया जा सका है जबकि अलग से दफा 80 (2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पेश कर वाद पत्र पेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। अतः वादी की ओर से वादपत्र दो प्रतियां में मयशपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक निर्णय मय डिकी बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे । वाद पत्र के खण्ड सं0 2 व 3 मे वर्णित खसरा नं0 602/0.12 है0, 602/2478/0.10 है0 वाकै ग्राम रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 13 के मध्य राजस्व नियमावली के मुताबिक रास्ता खाला वगै0 को ध्यान में रखते हुए कानूनी बंटवारा किया जावे व अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिये पाबंद फरमाया जावे कि वे उनके नौकर, एजेन्ट, उत्तराधिकारी हाल आराजी खसरा नं0 603/0.17, 606/0.39, 609/0.63 कुल किता–3 रकबा 1.19 है0 एवं खसरा नम्बर 602 व 602/2478 में कानूनी बंटवारा में प्राप्त भूमि के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त सिंचाई आवागमन में किसी भी प्रकार की बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे, जबकि वादी को शांति पूर्वक अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे पाबन्द फरमावे।

2. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई । प्रतिवादीगण की ओर से श्री सूरजमल जाट एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रकरण का प्राथमिक डिकी किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया । प्रकरण में दिनांक 24.7.2019 को दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के नियमों के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने जरिये पत्र कमांक भू0अ0/2022/ 836 दिनांक 11.3.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई । तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया । वकील प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया । वकील वादी की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बंटवारा रिपोर्ट के अवलोकन से बंटवारा प्रस्ताव मौके के अनुसार तथा रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए तैयार की गई है।अतः वादी का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, तथा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिकी किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 0.12 है0 व 302/2478 रकबा 0.10 है0 का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है कि :–

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	602/3 602/2478	0.05 है0 0.06 है0	सोहनदास, माधोदास पि0 जीवा हि0 बराबर जाति स्वामी सा0 देह खातेदार
2	602/2	0.04 है0	गिरधारीलाल पुत्र भगवान सहाय जाति जाट सा0 देह खातेदार
3	602 602/5	0.02 है0 0.0150 है0	मंगलदास पुत्र गिरधारी दास हि01/2 , शिम्भूदयाल, सुरेशकुमार, राजेन्द्र कुमार पि0 कालूदास हि0 1/2 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार
4	602/1	0.01 है0	शामलाती मुताबिक जमाबन्दी अनुसार किस्म गै0मु0रास्ता
5	602/4	0.0250 है0	शामलाती मुताबिक जमाबन्दी अनुसार किस्म गै0मु0रास्ता

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांकः 16/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जयपुर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूलं वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 26/2019

उनवान

1 गिरधारी लाल पुत्र भगवान सहाय, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
वादी

बनाम

1 मंगलदास पुत्र गिरधारी
2 राजेन्द्र कुमार पुत्र कालूदास
3 शिम्भूदयाल पुत्र कालूदास
4 सुरेश कुमार पुत्र कालूदास
5 प्रभाती पत्नी माधोदास
6 पप्पू उर्फ रोहिताश पुत्र कानादास
7 ग्यारसी देवी पत्नी हनुमानदास
8 अर्जुन पुत्र हनुमानदास
9 भींवाराम पुत्र हनुमानदास
10 जगदीश पुत्र माधोदास
11 बद्रीदास पुत्र सोहनदास
12 बनवारीदास पुत्र सोहनदास
13 बंशीदास पुत्र सोहनदास,
समस्त जाति स्वामी, निवासी स्वामियों की ढाणी रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
14 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
15 फूलचंद पुत्र मंगलदास
16 धर्मेन्द्र पुत्र साधूराम
17 अशोक पुत्र सज्जन सिंह
18 अनिल पुत्र सज्जन सिंह
19 दीपक पुत्र फूलचंद
20 बुग्गाराम पुत्र फूलचंद
समस्त जाति स्वामी, निवासी स्वामियों की ढाणी रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला–जयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरेन्द्रसिं शेखावत एडवोकेट वादी

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 16/2/22

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 0.12 है0 व 302/2478 रकबा 0.10 है0 का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार जिसके हिस्से भूमि रही
1	602/3 602/2478	0.05 है0 0.06 है0	सोहनदास, माधोदास पि0 जीवा हि0 बराबर जाति स्वामी सा0 देह खातेदार
2	602/2	0.04 है0	गिरधारीलाल पुत्र भगवान सहाय जाति जाट सा0 देह खातेदार
3	602 602/5	0.02 है0 0.0150 है0	मंगलदास पुत्र गिरधारी दास हि01/2 , शिम्भूदयाल, सुरेशकुमार, राजेन्द्र कुमार पि0 कालूदास हि0 1/2 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार
4	602/1	0.01 है0	शामलाती मुताबिक जमाबन्दी अनुसार किस्म गै0मु0रास्ता
5	602/4	0.0250 है0	शामलाती मुताबिक जमाबन्दी अनुसार किस्म गै0मु0रास्ता

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 16/9/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी [illegible] मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	